संoसंo–9 / आo–04–31 / 2023(स्वा०)......

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, जमुई के पत्रांक–2201 दिनाक–22 12 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 अभिषेक केशरी (R.No-BR00150160004846 जन्म तिथि–26.02.1987) सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिग्घी, लक्ष्मीपुर, जमुई दिनांक–16 12.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा0 केशरी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में अन्तर्निहित प्रावधानो के अन्तर्गत विभागीय सकल्प स0–515(9) दिनांक–17 05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। तद्पश्चात् विभागीय पत्रांक–1082(9) दिनाक–03 10 2023 एवं पत्रांक–199(9) दिनांक–02.02 2024 द्वारा डा0 केशरी से द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) की गई। द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति मे दिनाक–12 06 2024 को दैनिक समाचार पत्र मे प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्तत द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डा0 केशरी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. उक्त शास्ति प्रस्ताव मे बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्राक–595 दिनाक–15 05.2025 द्वारा आयोग की सहमति एव दिनाक–29 07.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक मे मद संख्या–35 पर मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

4. तदनुसार डा0 अभिषेक केशरी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिग्घी लक्ष्मीपुर, जमुई को दिनाक–16 12 2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप मे सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेशः–संकल्प की प्रति डा0 अभिषेक केशरी एव सभी सबधितो को निबधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9 / आ0–04–31 / 2023(स्वा0) 883(9) **पटना, दिनांकः** 31.7.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये मुगेर प्रमंडल, मुंगेर / सिविल सर्जन, जमुई / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 अभिषेक केशरी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिग्घी, लक्ष्मीपुर, जमुई को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, मन्त्रिमडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/2025

(15)

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 5, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/07/2025

सरकार के अवर सचिव।